BA (Hons.) & (Sub.) PART –II, Paper- III

डॉ0 गौतम कुमार

अतिथि शिक्षक

राजनीति विज्ञान विभाग

आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

संविधान संशोधन की प्रक्रिया

संविधान की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए समय के अनुसार संविधान में संशोधन आवश्यक है। अमेरिका में संविधान संशोधन की प्रक्रिया काफी कठोर है एवं ब्रिटेन में संविधान संशोधन की प्रक्रिया काफी सरल अथवा लचीला है, जबकि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया न तो काफी कठोर है और न ही काफी लचीला है अर्थात् संशोधन की प्रक्रिया सामान्य है। इस संबंध में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि, "यद्यपि जहॉ तक संभव हो, हम इस संविधान को ठोस और स्थायी संविधान का रूप देना चाहते हैं, संविधान में कोई स्थायित्व नहीं होता। इसमें कुछ लचीलापन होना चाहिए। यदि आप इसे कठोर एवं स्थायी बनाते हैं तो आप एक राष्ट्र की प्रगति पर जीवित, प्राणवत् एवं शरीरधारी व्यक्तियों की प्रगति पर रोक लगा देते हैं।" भारतीय संविधान में संशोधन का उल्लेख संविधान के भाग – 20 के अनुच्छेद – 368 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार संशोधन की शक्ति संसद के पास है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में किसी भी परिस्थिति में संविधान के मूल ढॉचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। वर्ष 1973 के पूर्व संविधान के मूल ढॉचे में परिवर्तन का प्रयास किया गया था लेकिन केश्वानंद भारती केस, 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया था कि संसद संविधान के मूल ढ़ॉचे में परिवर्तन नहीं कर सकता है। वर्ष 1950 से अभी तक कुल 103 संशोधन किए जा चुके हैं।

संविधान संशोधन की प्रक्रिया – भारतीय संविधान के अनुच्छेद – 368 में संशोधन की प्रक्रिया को उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित तरीकों से संविधान में संशोधन किया जा सकता है :–

1. संविधान में संशोधन के लिए संसद के किसी भी संदन (लोकसभा अथवा राज्यसभा) में विधेयक प्रस्तुत किये जा सकते हैं। लेकिन वित्त संबंधी संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं।
2. विधेयक को किसी मंत्री अथवा गैर सरकारी संदस्यों द्वारा पेश किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है।
3. प्रत्येक सदन से विधेयक को अलग–अलग पारित कराना आवश्यक है।
4. विधेयक को दोनों सदनों में सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित कराना आवश्यक है।
5. यदि विधेयक संघीय व्यवस्था के संशोधन से संबंधित है तो इसमें आधे से अधिक राज्यों के विधानमण्डलों से भी सामान्य बहुमत से पारित कराना आवश्यक है।
6. विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद उसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। संघीय संशोधन के मामले में आधे से अधिक राज्यों के विधानमण्डलों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जायेगा।
7. राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य होता है, वह न तो विधेयक को अपने पास रख सकता है और न ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है।
8. राष्ट्रपति के अनुमति के बाद संशोधन विधेयक एक संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है और संविधान में अधिनियम की तरह इसका समावेश कर दिया जाता है।

संविधान संशोधन के प्रकार – भारतीय संविधान में संशोधन तीन प्रकार से किया जा सकता है।

1. **साधारण बहुमत द्वारा संशोधन** – संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत द्वारा भी संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसमें सदन में उपस्थित सदस्यों के मत के बहुमत के आधार पर संशोधन विधेयक पारित किया जाता है।
2. **संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन** – संविधान के अधिकतर उपबन्धों का संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है अर्थात् प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत तथा प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत आवश्यक है। विशेष बहुमत की आवश्यकता विधेयक के तीसरे चरण पर केवल मतदान

के लिए आवश्यक होती है। इस संशोधन व्यवस्था में मूल अधिकार, राज्य के नीति–निदेशक तत्व तथा संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाएँ, जो प्रथम एवं तृतीय श्रेणियों से संबंद्व नहीं है।

3. **संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमण्डल की स्वीकृति द्वारा संशोधन प्रक्रिया** – संसद के विशेष बहुमत द्वारा नीति के संघीय ढ़ॉचे से संबंधित संविधान में उपबन्धों में संशोधन किया जा सकता है और इसके लिए यह भी आवश्यक है कि कम–से–कम आधे से अधिक राज्य विधानमण्डलों में साधारण बहुमत के माध्यम से उनको अनुमति मिली हो। विधेयक की स्वीकृति देने के लिए राज्यों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। निम्नलिखित उपबन्धों को इसके अन्तर्गत संशोधित किया जा सकता है –

   (i) राष्ट्रपति का निर्वाचन (अनुच्छेद 54)

   (ii) राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्वति (अनुच्छेद 55)

   (iii) संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार (अनुच्छेद 73)

   (iv) राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार (अनुच्छेद 162)

   (v) संघीय क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 241)

   (vi) संघीय न्यायपालिका (संविधान के भाग 5 का अध्याय 4)

   (vii) राज्यों में उच्च न्यायालय (संविधान के भाग 6 का अध्याय 5)

   (viii) संघ तथा राज्यों में विधायी संबंध (संविधान के भाग 11 का अध्याय 1)

   (ix) सातवीं अनुसूची में से काई भी सूची

   (x) संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व

   (xi) संविधान के संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबन्ध (अनुच्छेद 368)